चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में

आवश्यक सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वार निर्गत प्लास्टिक अपषिष्ट प्रबंधन (संषोधन) नियम, 2021 की अधिसूचना संख्या– G.S.R 571 (E) दिनांक 12 अगस्त, 2021 द्वारा चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, संग्रहण, वितरण, परिवहन, बिक्री एवं उपयोग पर संपूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना है।

प्लास्टिक अपषिष्ट प्रबंधन (संषोधन) नियम, 2021 के नियम 4(2) के तहत निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक (पॉलीस्टाइरीन एवं एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन अथवा थर्मोकोल सहित) के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जायेगाः'

(क) ईयर–बड की प्लास्टिक डंडी, बैलून का प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक झंडे, कैन्डी में लगी प्लास्टिक की डंडी, आईसक्रीम की डंडी, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) का सजावट में उपयोग;

(ख) प्लास्टिक (थर्मोकोल सहित) के प्लेट, कप, गिलास, कटलरी के समान जैसे– कॉंटा, चम्मच, छूरी, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डब्बों को लपेटने हेतु पतले प्लास्टिक के सीट, आमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट की पैकेजिंग, 100 माइक्रोन से कम के पी.वी.सी. बैनर, स्टरर इत्यादि।

उपरोक्त प्रतिबंध कंपोस्टयोग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं (कैरी बैग को छोड़कर) पर लागू नहीं होंगे।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 525 दिनांक 18.06.2021 एवं 1012 दिनांक 17.12.2021 के द्वारा भी उपरोक्त चिन्हित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–943 दिनांक 24.10.2018 एवं 1043 दिनांक 11.12.2018 द्वारा सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (नन–उवेन प्लास्टिक कैरी बैग समेत) के उत्पादन, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग को राज्य की परिसीमा में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

इस आम सूचना के द्वारा उल्लेखित उत्पादों के उत्पादनकर्त्ता, संग्रहणकर्त्ता, थोक एवं खुदरा बिक्रेता, दुकानदार, ई.–कॉमर्स कम्पनियाँ, शॉपिंग सेन्टर, मॉल, सिनेमाघरों, पर्यटन स्थल, विद्यालय, कॉलेज परिसर, अस्पताल परिसर के स्वामी / अधिभोगी, संस्था एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त चिन्हित समानों का उपयोग क्रमवार कम करते हुए दिनांक 30.06.2022 तक पूर्णतः रोक दें। दिनांक 01.07.2022 से चिन्हित प्लास्टिक के समानों का उत्पादन, आयात, संग्रहण, परिवहन, वितरण, बिक्री एवं उपयोगकर्त्ताओं के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

उक्त सूचना के माध्यम से सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने–अपने क्षेत्राधिकार में उक्त उत्पादों की उपलब्धता दिनांक 30.06.2022 तक शून्य कर लें।

उपरोक्त नियमों के उल्लंघनकत्ताओं के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत समानों की जब्ती, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, संस्थानों, व्यवसायिक परिक्षेत्रों, औद्योगिक इकाईयों को बंद करना शामिल हो सकता है।

सदस्य–सचिव

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

ई.मेल–msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट–http://bspcb.bihar.gov.in